



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी  
पत्रांक-445/12-1, दिनांक: मसूरी, 31-7-2019।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्रधारा (कालीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-11.425 किमी०) के नव निर्माण हेतु वांछित 9.194 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ :-

आपका ई०डी०एस० पत्रांक 102/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख-दे०दून/वन भूमि दिनांक 31-01-2019 एवं 180/ पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख-दे०दून/वन भूमि दिनांक 18-02-2019 एवं ई०डी०एस० अलर्ट दिनांक 22-7-2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयवर्तित वन भूमि के आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के पैरा (iv)-f, g, h में सी०ए० लेण्ड का स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अपलोड किये जाने का उल्लेख किया गया है। आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 की जांच/परीक्षण करने पर प्रस्तावक / पी०एम०जी०एस०वाई० के स्तर से उक्त स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है। कृपया आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के पैरा (iv)-f, g, h में वांछित अभिलेख अपलोड कर संगत दस्तावेज की हार्ड प्रति इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
संलग्न - उक्तानुसार।

भादोया

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 445 /दिनांकित।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग को उक्त विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के कृपया प्रस्तावित मार्ग के संरक्षण अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में 9.00मी० चौड़ाई में अवस्थित वृक्षों की गणना सूची तैयार कर तीन प्रतियों में इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।